उत्तर प्रदेश सरकार
राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग
संख्या– 402/चालीस–10–20(27)/06
लखनऊ, दिनॉक 30 मार्च, 2010

विज्ञप्ति

उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 के नियम–7(2) को संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नवत् अनुमति प्रदान की जाती है:–

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
"जिला मजिस्ट्रेट, प्राप्त आवेदन–पत्र की आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात् ऐसे दम्पति का जिन्हें वह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र समझे, नाम और पता और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिश राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में सरकार को अग्रसारित करेगा।"	"अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का विकेन्द्रीकरण करते हुये मण्डलायुक्तों को प्रोत्साहन पुरस्कार की नियमानुसार स्वीकृत हेतु अधिकृत किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट, प्राप्त आवेदन–पत्र की आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात् ऐसे दम्पति को जिन्हें वह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र समझे, के प्रस्ताव को प्राप्त कर, प्राप्त प्रस्ताव को अपने स्तर से नियमानुसार पूर्ण करके अपनी सिफारिश सम्बन्धित मण्डलायुक्त को भेजेंगे। पुरस्कार की धनराशि एवं प्रशस्ति–पत्र मण्डलायुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर से संबंधित दम्पत्तियों को प्रदान किया जायेगा । इस कार्य हेतु प्रथमतः प्राविधानित धनराशि का पचास प्रतिशत प्रदेश के सारे मण्डलों को आवंटन किया जायेगा शेष धनराशि का आवंटन मण्डलों/जनपदों की मांग के आधार पर निर्गत किया जायेगा।"

2–उपर्युक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,

नवतेज सिंह
प्रमुख सचिव ।

संख्या– 402 (1)/चालीस–2010–20(27)/06
प्रतिलिपि निम्नलिखंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) समस्त मा0 मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण,उ0प्र0, लखनऊ।
(5) निदेशक, दूर दर्शन केन्द्र, लखनऊ, आकाशवाणी, लखनऊ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9

आज्ञा से,
(राम बहादुर सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या–402(2)/चालीस–2010–20(27)/06
प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को आगामी गजट के अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

2– गजट में प्रकाशन के पश्चात् विज्ञप्ति की 200 प्रतियां राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग, उ0प्र0 सचिवालय को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राम बहादुर सिंह)
अनु सचिव ।